रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 1996/चैत्र 2, 1918
No. 68] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 1996/CHAITRA 2, 1918

CENTRAL SECRETARIAT

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1996

सं. एल. 19013/3/94 न्याय.— भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1989 की रिट याचिका संख्या 1022—अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 13-11-91 को दिए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ साथ निर्देश दिया था कि :—

"जब कभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वेतन आयोग/समितियों का गठन किया जाए तो न्यायिक अधिकारियों के उचित वेतनमानों का मामला विशिष्ट रूप से भेजा जाए तथा इस पर विचार किया जाए।"

1992 की पुनरीक्षा याचिका सं. 249 में 24-8-93 के अपने अनवर्ती आदेश में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि :—

"इसके अतिरिक्त, चूंकि पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के कार्य का स्वरूप एक समान है, इसलिए सेवा शर्तों में एकरूपता होनी चाहिए। न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करने के कार्य को केवल इसी उद्देश्य के लिए गठित एक अलग वेतन आयोग को सौंपने की आवश्यकता पर हमने पहले भी बल दिया है। इसलिए हम इस प्रकार के अलग आयोग के महत्व तथा देश भर में न्यायाधीशों के लिए एक समान वेतन मान निर्धारित करने की वांछनीयता को भी दुहराते हैं।"

2. भारत के उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश के अनुसरण में, प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष— न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) के. जे. शेट्टी
2. सदस्य— न्यायमूर्ति पी. के. बाहरी
3. सदस्य सचिव— श्री. के. आर. छमय्या

3. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :

(क) ऐसे सिद्धान्त तैयार करना, जो देश भर में न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढांचे तथा अन्य परिलब्धियों को नियंत्रित करें।

(ख) "राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कुल लाभों को गिनती में लेते हुए तथा अन्य सम्बद्ध तत्वों के साथ-साथ अन्य सरकारी अधिकारियों की तुलना में अधीनस्थ

स्थ न्यायिक सेवा से संबंधित अधिकारियों के वेतन ढांचे की मौजूदा सापेक्षता पर विचार करते हुए न्यायिक अधिकारियों की परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे और सेवा की शर्तों पर विचार करना तथा उपयुक्त सिफारिश करना।"

(ग) न्यायिक अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, भर्ती की आयु, भर्ती के तरीके आदि पर विचार करना तथा सिफारिश करना। इस संबंध में संविधान के सम्बद्ध उपबंधों तथा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में तथा अन्य मामलों में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(घ) कार्य के तरीके तथा कार्य परिवेश के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों को वेतन के अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए भत्तों की किस्म तथा वस्तु रूप में उपलब्ध लाभों पर विचार करना तथा न्यायिक प्रशासन की कुशलता में सुधार लाने, न्यायपालिका आदि के श्रेष्ठ आकार की दृष्टि से उसके यौक्तिकीकरण तथा सरलीकरण के संबंध में सुझाव देना।

4. आयोग स्वयं अपनी कार्यविधि तैयार करेगा तथा किसी उद्देश्य विशेष के लिए, ऐसे सलाहकार, संस्थागत परामर्शी तथा विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझेगा। वह ऐसी कोई सूचना मंगवा सकता है और ऐसा कोई साक्ष्य ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझता हो। सभी राज्य सरकारें, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग आयोग द्वारा अपेक्षित ऐसी जानकारी, दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे।

5. आयोग यथासंभव शीघ्र अपनी सिफारिशें देगा। यद्यपि सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो वह किसी मामले में रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजेगा।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए,

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा सभी अन्य संबंधितों को भेज दी जाए।

एच. एच. त्यबजी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st March, 1996

No. L. 19013/3/94-Jus.— The Supreme Court of India vide its judgement delivered on 13-11-95 in W.P. No. 1022 of 1989—All India Judges Association Vs. Union of India and Others had directed inter alia that :—

"As and when the Pay Commission/Committees are set up in the States and UTs; the question of appropriate pay scales of Judicial Officers be specifically referred and considered."

In its subsequent order on 24-8-93 in Review Petition No. 249 of 1992, the Supreme Court directed that :—

"Further since the work of the Judicial Officers throughout the country is of the same nature the service conditions have to be uniform. We have also emphasized earlier the necessity of entrusting the work of prescribing the service conditions for the Judicial Officers to a separate Pay Commission exclusively set up for the purpose. Hence we reiterate the importance of such separate commission and also of the desirability of prescribing uniform pay scales to the judges all over the country."

2. In pursuance of the above direction of the Supreme Court of India, it has been decided to appoint the First National Judicial Pay Commission comprising the following :—

1. Chairman — Shri Justice K.J. Shetty
2. Member — Shri Justice P.K. Bahri
3. Member-Secretary — Shri K.R. Chamayya

3. The terms of reference of the Commission will be as follows :—

(a) To evolve the principles which should govern the structure of pay and other emoluments of Judicial Officers belonging to the Subordinate judiciary all over the country.

(b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of Judicial Officers in the States and UTs taking into account the total packet of benefits available to them and make suitable recommendations having regard, among other relevant factors, to the existing relativities in the pay structure between the officers belonging to sub-ordinate judicial service vis-a-vis other civil servants.

(c) To examine and recommend in respect of minimum qualifications, age of recruitment, method of recruitment etc. for Judicial Officers. In this context, the relevant provisions of the Constitution and direction of the Supreme Court in all India Judges Association Case and in other cases may be kept in view.

(d) To examine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are available to Judicial Officers in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in Judicial Administration, optimising the size of the Judiciary etc.

4. The Commission will devise its own procedure and may appoint such advisers, institutional consultants and experts as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. All State Govts., UT Administrations and the Ministries/Deptts. of the Central Govt. will furnish such information, documents and other assistance as required by the Commission.

5. The Commission will make its recommendations as soon as feasible. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalised. It shall make its recommendations to the State Governments.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India,

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Deptts. of the Govt. of India/State Govts./UT Administrations and all other concerned.

H.H. TYABJI, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996